20/10/2021
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021" के अन्तर्गत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश होने से पंचायत समिति, भूपालसागर में शिविर दिनांक 20/10/2021 शिविर स्थल ग्राम पंचायत, वजराना में पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण में श्री अमरा पिता लखमा गाडरी के फौत हो जाने से उसके वारिसान श्री किशन, माधु, हजारी व लेहर पिता अमरा तथा माधुलाल पिता डालु गाडरी, मदनलाल पिता परथू गाडरी के द्वारा मौजा रामाखेडा के खाता सं. 210 आ. सं. 677 रकबा 1.30 हैक्टेयर भूमि के सीमा निशानात नहीं होने से पत्थरगढ़ी किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रश्नगत आराजी के खातेदार श्री अमरा की मृत्यु हो जाने से उनके पुत्रों तथा अन्य खातेदार माधु पिता डालु व मदनलाल पिता परथू के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। शिविर स्थल पर हल्का पटवारी से मौका स्थिति की जानकारी ली गई, हल्का पटवारी ने मौके पर सीमा निशानात नहीं होने से पत्थरगढ़ी करवाई जाना उचित है। पत्रावली के अवलोकन पश्चात प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम रामाखेडा में स्थित आ० सं० 677 रकबा 1.30 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी की जाने हेतु तहसीलदार, भूपालसागर को 500 रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि पर कोई विवाद न हो, अन्य किसी न्यायालय में कोई लम्बित / विचाराधीन नहीं हो [illegible] कोई नहीं हो, की जानकारी करके [illegible] पक्षकारों को सूचित कर, दोनों पक्षों की मौजूदगी में अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर

[signatures] पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2021.10.25 12:46:17 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021	चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करें। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जि. चित्तौड़गढ़ (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2021.10.25 12:46:17 IST
Reason: SelfAttested